

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी
अनुमति-पत्र

सं० 29 / न० 30 वि०

दिनांक 15.5.14

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र


यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री आर्जुन प्रताप सिंह व अ/
सूर्य प्रताप सिंह /

पिता/पति का नाम श्री आर्जुन प्रताप सिंह आराजी संख्या 243/34 243/गौजा मन्ईया
वार्ड 34 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विहित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



15/5/14

उपाध्यक्ष (श्रवल)
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञायम इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, ड्राँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की षटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर..... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जाये, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलस के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान को पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. पक्ष को स्थल पर 11 पेड़ लगाना होगा।
2. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 12.03.13 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. आपको अधीक्षण अभियन्ता विद्युत के पत्र दिनांक 17.04.2014 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
5. भवन में ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
6. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
7. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
8. स्वामित्व के सम्बन्ध में एवं प्रश्नगत आराजी तथा रास्ते के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद/तथ्य उजागर होते हैं तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी तथा उपरोक्त वर्णित दशा में विवाद/तथ्य उजागर होने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
9. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित गुपहाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन एवं अभिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वामित्व एवं आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
10. स्टील फ्लोर के नीचे बेसमेंट का प्राविधान किया गया है। ऐसी दशा में बेसमेंट फ्लोर की छत भूतल के लेवल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
11. निर्माण के दौरान बेसमेंट खुदाई हेतु संरक्षा के सभी उपाय किये जाय तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जाय।
12. पक्ष को निर्माण सामग्री अपने भूखण्ड पर रखना होगा।
13. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त अनापत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. पक्ष को एवं आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्प रोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी पक्ष एवं आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
15. पक्ष को नियमानुसार दिये गये शपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी।
16. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।

अग्निशमन विभाग (मन्त्रालय)
विकास प्राधिकरण, वाटिका